प्रेषक,

राम बहादुर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक-24 सितम्बर, 2015

विषय- जनपद इटावा में ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण न दिये जाने विषयक मा0 राज्य पिछड़ा आयोग में शिकायत संख्या-94-शि0आर0/2000 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ए-343/स्था0-2/2015, दिनांक 29-04-2015, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3855/38-3-2013-200डब्लूपी/1999, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया गया है।

2- उपरोक्त पुनर्विचार विषयक प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-3855/38-3-2013-200डब्लूपी/1999, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 को निरस्त किया जाता है। मा0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश दिनांक 26-3-2008 के अनुपालन में जनपद इटावा के अन्तर्गत वर्ष 1998 में ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्तियों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण अधिनियम 1994 के प्राविधानों एवं मा0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-695/38-1-2009-200डब्लूपी/1999, दिनांक 07 अगस्त, 2009 के अनुक्रम में श्री शरद कुमार कुशवाहा तथा महेन्द्र कुमार को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर जनपद इटावा में नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन कार्मिकों की नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से की जायेगी तथा कोई पूर्व वेतन/ज्येष्ठता/सेवा की गणना आदि का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार कार्यवाही कराते हुए शासन तथा मा0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम बहादुर )
सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-19/1491(1)/38-3-2015, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव न्याय/कार्मिक विभाग को मा0 राज्य पिछड़ा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-7333/94-शि0आर0-2000/रा0पि0व0आ0/2015, दिनांक 05-08-2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मा0 राज्य पिछड़ा आयोग, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
4. जिला विकास अधिकारी, इटावा को उपर्युक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन आख्या शासन तथा मा0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

( कामता प्रसाद )
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।